कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री देव स्टेशनर्स, स्टेशन रोड, पीलीभीत।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**029 / 16, 14.12.2016**
प्रार्थी की ओर से	**श्री मुरली मनोहर अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री देव स्टेशनर्स, स्टेशन रोड, पीलीभीत द्वारा दिनांक 14.12.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

Clarification the liability of Entry Tax on Multi Layer Kraft Paper

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री मुरली मनोहर अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन बरेली के पत्र संख्या-2582, दिनांक 02.02.2017 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-A की प्रविष्टि संख्या-90 में पैकिंग मैटेरियल में sheet, gunny bags, HDPE/PP woven strips, HDPE/PP circular strips and woven fabrics; Hessian cloth, Hessian based paper, Polythene and Hessian based paper; and bituminized water proof paper, jute twine; polythene and plastic bags including LDPE plastic bags for milk pouches; Tin containers, shooks, tea chests, waste paper of ropes and strings, envelopes, वस्तुएं अच्छादित हैं जिसमें मल्टी लेयर क्राफ्ट पेपर का उल्लेख नहीं है। व्यापारी द्वारा स्वयं ही अपने प्रार्थना-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि मल्टी लेयर क्राफ्ट पेपर, पेपर से तैयार किया जाता है। उक्त से स्पष्ट है कि यह पेपर की ही श्रेणी में आता है तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-KA.NI-2-104 / XI-9-(1) 08-U.P. Act 30 / 07-Order-(38) 2009, dated 15.01.2009 में Paper meant for writing, printing or packing purposes excluding newsprint पर 2% की दर से प्रवेश कर देयता है जिसमें writing, printing or packing में उपयोग होने वाले कागज पर प्रवेश कर आरोपित किये जाने का प्राविधान किया गया है। मल्टी लेयर क्राफ्ट पेपर का प्रयोग भी पैकिंग के उद्देश्य से किया जाता है तथा कागज की श्रेणी में होने के कारण इस पर प्रवेश कर की देयता बनती है।

जहॉ तक सर्वश्री चीमा पेपर लि0 v/s कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ v/s प्रवीन ब्रदर्स के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, उक्त दोनों निर्णय डुप्लेक्स बोर्ड के सम्बन्ध में है, जो मल्टी लेयर क्राफ्ट पेपर से भिन्न है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-92 में Paper of all kinds (including newsprint when sold to person other than news paper

.....2

publishers), and gum tape, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose excluding cellophone, mill board, duplex board and grey board; Metallic jaali, barbed wire; and wooden spoon ; Cash box उल्लिखित किया गया है ।

स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र में घोषित वस्तु Multi Layer Craft Paper, Paper है, जिस पर प्रवेश कर की करदेयता आकृष्ट होती है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा चीमा पेपर लि0 बनाम कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ बनाम प्रवीण ब्रदर्स के वाद के निर्णयों के आधार पर प्रश्नगत मल्टी लेयर क्राफ्ट पेपर को पेपर से भिन्न माने जाने की प्रार्थना की गई है । प्रश्नगत दोनों निर्णय विज्ञप्ति संख्या KA-NI-2-3339 / XI दिनांक 31/10/2001 की प्रविष्टि के आधार पर दिए गए हैं । विज्ञप्ति संख्या KA-NI-2-3339 / XI दिनांक 31/10/2001 की प्रविष्टि निम्नवत थी :

"paper of all kinds excluding newsprint"

उक्त प्रविष्टि के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा Duplex board का प्रयोग पैकिंग मटेरियल के रुप में मानते हुए इसे पेपर से भिन्न माना गया था किन्तु प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की विज्ञप्ति संख्या KA-NI-2-2757 / XI -9-(1) 08-U.P. Act 30 / 07-Order-(31) 2008, दिनांक 29/09/2008 एवं पुन: विज्ञप्ति संख्या KA-NI-2-103 / XI -9-(1) 08-U.P. Act 30 / 07-Order-(37) 2009 दिनांक 15/01/2009 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। वर्तमान में यह प्रविष्टि निम्नवत है "Paper meant for writing, printing or packing purposes excluding newsprint" । वर्तमान में कोई भी पेपर जो लिखने, प्रिंट करने अथवा पैकिंग के रुप में प्रयुक्त होता है, इस प्रविष्टि से अच्छादित है एवं तदनुसार उस पर प्रवेश कर की देयता है । प्रार्थी द्वारा क्रय की गई वस्तु मल्टी लेयर क्राफ्ट पेपर मूलत: क्राफ्ट पेपर ही है और पैकिंग हेतु वस्तुओं का निर्माण करने के लिए क्राफ्ट पेपर के कई लेर्यस को एक साथ रखकर उन्हे प्रेस किया गया है, इससे कागज के रुप में इसका उपयोग नही बदलता अपितु यह पैकिंग में उपयोग किए जाने वाला पेपर ही रहता है। इसकी प्रकृति एवं उपयोग मे कोई अंतर नही आता है, तदनुसार यह विज्ञप्ति दिनांक 29/09/2008 की प्रविष्टि क्रमांक 6 से अच्छादित होने के कारण इस पर 2% की दर से प्रवेश कर की देयता है।

मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । व्यापारी द्वारा क्रय की गई वस्तु मल्टी लेयर क्राफ्ट पेपर मुख्यत: क्राफ्ट पेपर की कई परतों को एक साथ रखकर प्रेस कर के बनाया गया है तथा इसका पैंकिग के लिए प्रयोग होता है । वर्तमान में प्रवेश कर देयता हेतु प्रविष्टि निम्नवत है:-"Paper meant for writing, printing or packing purposes excluding newsprint" उक्त से स्पष्ट है कि वर्तमान में लिखने, प्रिंट करने अथवा पैकिंग के लिए प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के कागज इस प्रविष्टि से अच्छादित हैं तथा उस पर प्रवेश कर की देयता है। प्रार्थी द्वारा क्रय की गई वस्तु मल्टी लेयर क्राफ्ट पेपर भी इस प्रविष्टि से अच्छादित होने के कारण इस पर नियमानुसार 2% की दर से प्रवेश कर की देयता है।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 07 मार्च, 2017

ह0/ 07-03-17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।